न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 137 दिनांक 15/01/2024

अनवान :—

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
ईशराराम वगैरा	बनाम	सोनाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 62/2023

दिनांक : 15.01.2024

आदेश

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र धणाऊ के मौजा भारियों की बस्ती के खेत खसरा सं. 234/170 रकबा 05.9246 हैक्टेयर एवं पटवार क्षेत्र तारातरा के मौज़ा सारणों का तला के खेत खसरा सं. 573 रकबा 11.5254 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.03.06 12:14:18 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक/भू.अ./2024/ 138 to 141 दिनांक 15/01/2024

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी ईशराराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण सोनाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन